न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-169/2004

शंकरलाल पुत्र लालाराम जाति माली निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू ।

--अपीलान्ट--

--बनाम--

1- सुमित्रा देवी तथाकथित धर्मपत्नी स्व0 बृजमोहन दास जाति स्वामी निवासी जे0डी0एल0 स्कूल के सामने बजाज रोड सीकर।

2- अखिलेश उर्फ नरेन्द्र तथाकथित पुत्र स्व0 बृजमोहनदास जाति स्वामी निवासी बजाज रोड सीकर ।

3- रेखा तथाकथित पुत्री स्व0 बृजमोहन दास निवासी जे0डी0एल0 रोड सीकर ।

4- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू ।

--रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 3-7-2004 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी झुन्झुनू ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री शीशराम सैनी एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री विजयपाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 27.2.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ रेकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम इस्लामपुर में आराजी ख0नं0 604 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार बहिस्सा बराबर माला, बारसी पुत्र चन्द्रा जाति माली निवासी इस्लामपुर थे । जिसमें से स्व0 बृजमोहनदास चेला रामदेवदास दादूपंथी ने

बारसी पुत्र चन्द्रा के 1/2 हिस्सा की भूमि 11 बीघा 16 बिस्वा पुख्ता को दि0 27-2-1968 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर ली जिसके नवीन खसरा नं0 604/3 रकबा 11 बीघा 16 बिसवा बृजमोनदास की खातेदारी में दर्ज हो गई । बृजमोहन दास दादूपंथी था जो अध्यापक की नौकरी में था । जिस समय इस आराजी को क्रय किया वह वादी के मकान में ही रहता था । जिसने उक्त आराजी को बँटवाई पर वादी को दी थी । तब से वादी इस आराजी पर काबिज काश्तकार है। इस प्रकार वादी का लगातार कब्जा रहने से वादी को उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके । किन्तु प्रतिवादी सं0-1 से 3 ने अपने आपको स्व0 बृज मोहनदास के वारिस बताकर उक्त आराजी ख0नं0 604/3 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा का नामान्तरकरण दिनांक 25-10-2002 को अपने नाम करवा लिया । जो वादी के अधिकारों पर शून्य व बेअसर है । नामान्तरकरण तस्दीक होने के दूसरे दिन प्रतिवादी संख्या-1 से 3 ने इस आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी जिस पर यह दावा पेश किया । जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया जिसके आधार पर ही अपीलान्ट का दावा विधि के विपरित खारिज किया है। अपीलान्ट द्वारा दावा पेश करने पर जबाब दावा आने पर अदालत मातहत को विवादक कायम कर दोनो पक्षों की साक्ष्य ली जाकर ही दावे का निर्णय किया जाना चाहिये था । किन्तु प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट ने आज दिनांक तक कोई जबाब दावा पेश नहीं किया । प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी तथ्य दर्ज नहीं किया है जो दावा खारीज करने हेतु पर्याप्त हो । अदालत मातह -त ने बिना माईण्ड अप्लाई किये अपना आदेश पारित कर दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर 35 वर्षों से कब्जा रहा है अपीलान्ट का दावा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर डिक्री किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय

पारित किया है जो विधि के विपरित है । अदालत मातहत को अपना निर्णय दोनो पक्षों की साक्ष सबूत लेकर ही अपना आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने दावा का निर्णय कानूनी बिन्दू पर कर कानूनी भूल की है । बृजमोहनदास की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट ने आज दिनांक तक उक्त आराजी का कब्जा लेने की कोई कार्यवाही नहीं की है ।बृजमोहनदास दादूपंथी था जिसने कोई विवाह नहीं किया । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 स्व0 बृजमोहन के फर्जी वारिस बन कर उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम गलत दर्ज करवाया है । रेस्पोडेन्ट ने विवादित आराजी का कब्जा लेने की कोई कार्यवाही आज दिनांक तक रेस्पो0 द्वारा नहीं की गई । अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित केवल कानूनी बिन्दू पर पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रकरण अदालत मातहत का इस निर्देश साथ रिमाण्ड किया जावे कि वह प्रकरण में जबाब दावा लेकर साक्ष्य सबूत लेकर दावे का निर्णय विधिनुसार पारित किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्ट की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । विवादित आराजी ख0नं0 604/3 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्व0 बृजमोहन दास ने क्रय की । जिसके बाद उक्त आराजी को अपीलान्ट ने बंटाई पर काश्त किया जाना दर्ज किया है । अपीलान्ट ने जो दावा पेश किया है वह प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषणा के लिये यह दावा पेश किया है किन्तु विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा रहा हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है ।अपीलान्ट ने यह स्वीकार किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 के नाम दिनांक 25-10-2002 को नामान्तरकरण विरासत के आधार पर दर्ज किया गया है । नामान्तरकरण तस्दीक करते समय तहसीलदार ने मौके की जांच करने के बाद ही नामान्तरकरण को तस्दीक किया गया है । अपीलान्ट

को यह आराजी बंटाई पर दी है किन्तु इस प्रकार का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है । न ही अपीलान्ट को कोई वाद कारण पैदा हुआ है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3-7-04 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.2.2018 को सुनाया गया ।

27/2/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर